उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 42वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 13.09.2018

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4108184 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.09.2018 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –अध्यक्ष
2. श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –सदस्य/सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी, अनु सचिव आवास एवं शहरी **(प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)** –सदस्य
7. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री राकेश त्रिवेदी, मुख्य तकनीकी सलाहकार, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, वन, यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
9. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
10. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
13. श्री संदीप अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
14. श्री एम0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री डी0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
16. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।
18. श्री रमेश चन्द्र दुबे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–द्वितीय, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 42वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.07.2018 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.07.2018 को सम्पन्न 41वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.07.2018 को सम्पन्न हुई 41वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–"कानपुर एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त 'कानपुर एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4–

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

1. संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री गोपाल सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक	एक वर्ष	21.06.2018	1188/यूपीडा/939/18/अधि0 दि0 19.06.2018
2	श्री आत्मा प्रसाद वर्मा	विशेष कार्याधिकारी	एक वर्ष	02.07.2018	1397/यूपीडा/970/18/अधि0 दि0 02.07.2018
3	श्री दिनेश प्रसाद पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	06 माह	21.07.2018	1745/यूपीडा/960/18/अधि0 दि0 21.07.2018
4	श्री राम आसरे	वरिष्ठ सहायक	06 माह	21.07.2018	1743/यूपीडा/960/18/अधि0 दि0 21.07.2018
5	श्री राकेश त्रिवेदी	मुख्य सलाहकार (तकनीकी)	06 माह	01.08.2018	1934/यूपीडा/920/18/अधि0 दि0 01.08.2018

2. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री के0के0 गुप्ता	वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीयसंस्थान)	25.06.2018 तक	06 माह	25.12.2018 तक	1472/यूपीडा/424/15/अधि0 दि0 05.07.2018	
2	श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	30.06.2018 तक	06 माह	31.12.2018 तक	1584/यूपीडा/389/14/अधि0 दि0 11.07.2018	
3	श्री श्याम शंकर शुक्ल	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	11.08.2018 तक	06 माह	11.02.2019 तक	1901/यूपीडा/261/14/अधि0 दि0 30.07.2018	
4	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	09.07.2018 तक	06 माह	09.01.2019 तक	1698/यूपीडा/247/14/अधि0 दि0 19.07.2018	
5	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	11.07.2018 तक	–	31.08.2018 तक	1582/यूपीडा/431/15/अधि0 दि0 11.07.2018	
6	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.05.2018 तक	02 माह	31.07.2018 तक	1583/यूपीडा/402/15/अधि0 दि0 11.07.2018	
7	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2018 तक	06 माह	31.01.2019 तक	1753/यूपीडा/391/15/अधि0 दि0 23.07.2018	
8	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	16.08.2018 तक	06 माह	16.02.2019 तक	2198/यूपीडा/528/15/अधि0 दि0 14.08.2018	
9	श्री अजय कुमार गुप्ता	लेखाकार	31.07.2018 तक	06 माह	31.01.2019 तक	1860/यूपीडा/504/15/अधि0 दि0 27.07.2018	
10	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	27.07.2018 तक	06 माह	27.01.2019 तक	1689/यूपीडा/519/15/अधि0 दि0 19.07.2018	
11	श्रीमती कंचन तिवारी	लेखाकार/आडिटर	12.07.2018 तक	06 माह	12.01.2019 तक	1581/यूपीडा/503/15/अधि0 दि0 11.07.2018	
12	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	31.08.2018 तक	02 माह	31.10.2018 तक	2590/यूपीडा/586/16/अधि0 दि0 04.09.2018	
13	श्री बी0सी0 तिवारी	विशेष कार्याधिकारी (वन)	30.06.2018 तक	06 माह	31.12.2018 तक	1505/यूपीडा/610/16/अधि0 दि0 06.07.2018	
14	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	26.07.2018से	02 माह	25.09.2018 तक	1810/यूपीडा/747/17/अधि0 दि0 27.07.2018	
15	श्री बशीधर सीताराम दुबे	सलाहाकार (प्रोक्योरमेंट)	31.08.2018 तक	एक वर्ष	31.08.2019 तक	2438/यूपीडा/780/17/अधि0 दि0 29.08.2018	
16	श्री जय कुमार	मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रथम	10.07.2018 तक	06 माह	10.01.2019 तक	1580/यूपीडा/827/18/अधि0 दि0 11.07.2018	
17	श्री रमेश चन्द्र दुबे	मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वितीय	28.07.2018 तक	06 माह	28.01.2019 तक	1859/यूपीडा/844/18/अधि0 दि0 27.07.2018	
18	श्री शरद तिवारी	विधिक सलाहकार	09.07.2018 तक	06 माह	09.01.2019 तक	1174/यूपीडा/833/18/अधि0 दि0 19.06.2018	
19	श्री उमेश प्रताप सिंह	अंशकालिक खनन सलाहकार	17.07.2018 तक	06 माह	17.01.2019 तक	1680/यूपीडा/899/18/अधि0 दि0 19.07.2018	

कार्यवाही/निर्णय:– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 10.09.2018 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित।

कार्यवाही/निर्णयः– लंबित वादों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदयद्वारा विधि पारमर्शी को निर्देश दिये गये की जिन जनपदों से प्रतिशपथ पत्र तैयार करने के लिये आख्या प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें उनके स्तर से पत्र प्रेषित कराया जायें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:–

यूपीडा द्वारा संचालित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त पर समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई। इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया की डिफेन्स कॉरिडोरएवं इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजनाओं को एक साथ सम्मिलित करते हुये संचालित किया जायेगा। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:–**आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं सम्बन्धित मदों में Extension of Time पर विचार/अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णयः– आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टॉफ में श्री अरविन्द कुमार वर्मा को टीम लीडर के रिक्त पद पर योजित करने तथा श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय को श्री वर्मा के स्थान पर सेफ्टी इंजीनियर के पद पर योजित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई। साथ ही टी.एम.एस के कार्यों हेतु टोल मैनेजमेण्ट एक्सपर्ट व 02 टेक्नीकल सब प्रोफेशनल को पूर्व में कार्यरत Personnel के प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तावित मासिक पारिश्रमिक पर योजित किये जाने पर सहमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई।

उक्त के अतिरिक्त 01 ब्रिज/स्ट्रक्चरल इंजीनियर व 01 हाईवे इंजीनियर को पूर्व में कार्यरत Personnel के प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तावित मासिक पारिश्रमिक पर योजित किये जाने पर सहमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज सं0–5 के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रेजिडेन्ट इंजीनियर, सब प्रोफेशनल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के समय वृद्धि तथा उनके सापेक्ष वाहन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8:–

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णयः– मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में परियोजना व्यय के 10 प्रतिशत धनराशि चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत अनुमन्य होती है। जबकि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना में लगभग 5 प्रतिशत की धनराशि ही व्यय की गई है। निदेशक मण्डल केसदस्यों द्वारा बिन्दु–01 से 04 तक के प्रस्ताव से अवगत होते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09:–

वर्तमान में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के सभी 5 पैकेजो में अनुरक्षण कार्यो के लिए केवल 2 पी0आई0यू0 (पी.आई.यू.–1 आगरा व पी. आई.यू.–5 लखनऊ) कार्यरत है, शेष 3 पी0आई0यू0 (पी.आई.यू.–2 शिकोहाबाद, पी.आई.यू.–3 इटावा व पी.आई.यू.–4 कन्नौज) के कार्यालय का अस्तित्व समाप्त करके उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पी.आई.यू. संख्या 4, 8 व 3 के रूप में विस्थापित किया गया है। पी.आई.यू.–1 आगरा द्वारा पैकेज 1, 2, 3 व 4 के अनुरक्षण का कार्य देखा जा रहा है व पी.आई.यू.–5 लखनऊ द्वारा पैकेज 5 का कार्य देखा जा रहा है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पी.आई.यू. –5 लखनऊ व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का कार्य एक ही कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई

एजेण्डा बिन्दु–10:– **उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा में केन्द्रीयित नियमावली प्रख्यापित किये जाने एवं सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय से यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया जाना।**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11.09.2018 को दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा से सम्बन्धित है :–

1. **उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणधीन विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों यथा–नोएडा, ग्रेटर, नौएडा, यमुना एक्सप्रेसवे–वे, गीडा सीडा, लीडा, यूपीसीडा एवं यूपीडा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों की सेवाओं में एकरूपता लाने यथा उनकी सेवा–शर्ते, पदनाम, वेतनमान एवं अन्य सम्बन्धित प्राविधानों को समान बनाये जाने के उददेश्य से उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22.06.2018 को प्रख्यापित की गयी है।**
2. उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को विकास हेतु विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण निगमित निकाय है, जो अपनी आय–व्यय की व्यवस्था स्वंय करते है। **उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22.06.2018 को प्रभावी रूप से प्रवृत्त किये जाने हेतु सभी प्राधिकरणों में कर्मिकों को एक समान वेतन प्रदान किये जाने हेतु सातवे वेतन आयोग की संस्तुति अन्य प्राधिकरणों में भी दिनांक 01.01.2016 से लागू किया जाना है।**

कार्यवाही / निर्णयः– मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में यूपीडा में नियमित पद स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का कार्यक्षेत्र प्रतिदिन बढ रहा है, कई नई एक्सप्रेसवे परियोजनायें भी प्रारम्भ हो रही है, अतः यूपीडा में निकट भविष्य में तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी जिसके लिये शासन से अनुरोध कर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। प्रस्ताव से अवगत होते हुये उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा में केन्द्रीयित नियमावली प्रख्यापित किये जाने एवं सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक शासन के निर्णय को लागू किये जाने पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ एवं गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक 'सेमी हाई–स्पीड रेलवे कॉरीडोर स्थापित करने हेतु मेसर्स राइट्स लिमिटेड से प्री–फिजिबिलिटी स्टडी कराने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ एवं गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक 'सेमी हाई–स्पीड रेलवे कॉरीडोर' स्थापित करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स राइट्स लिमिटेड से प्री–फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिये उनके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 11.09.2018 पर संस्तुति प्रदान करते हुए शासन से उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भू–अर्जन की स्थिति**

कार्यवाही/निर्णयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भू–अर्जन एवं क्रय की प्रगति से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **उ0प्र0 में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में सैन्य बलों की रक्षा उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भरता, रक्षा तकनीक के विकास हेतु रक्षा सामग्री के उत्पादन व अनुसंधान इकाईयों की स्थापना एवं विकास हेतु उ0प्र0 में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। माह फरवरी, 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रूपए के निवेश से डिफेन्स कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई है।

(2) डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को रक्षा उपकरणों तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना, उक्त क्षेत्रों में निजी औद्योगिक पार्को को प्रोत्साहित करना, बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाईयों को उनसे जोड़ना, रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास करना, रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करते हुए निरन्तर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना आदि है। इससे रक्षा सामग्री के उत्पादन एवं अनुसंधान के साथ–साथ 2.5 लाख लोगो हेतु रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।

निष्कर्षतः डिफेन्स कॉरिडोर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता की परियोजना है। शासनादेश संख्या–2091/77–6–18–एल0सी0–47/18टीसी, दिनांक 04 जुलाई, 2018 द्वारा प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यो तथा कारीडोर के विकास हेतु यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित करते हुए डिफेन्स कॉरिडोर के कियान्वयन एवं स्वामित्व का कार्य भारत सरकार के डिफेन्स पालिसी की गाइडलाइन्स के अनुसार एस0पी0वी0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

(3) उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु विभिन्न डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग नोड्स जनपद आगरा, अलीगढ़, झांसी, जालौन, चित्रकूट तथा कानपुर में चिन्हित किये गये हैं। डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना हेतु विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) यथा स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयों, इस क्षेत्र में निवेश के इच्छुक निजी उद्यमियों तथा डिफेन्स एवं एयरोस्पेस सेक्टर की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई0आई0टी0, कानपुर तथा आई0आई0टी0 काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले डिफेन्स कॉरिडोर हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेन्स नामित किया गया है।

(5) उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु यूपीडा द्वारा डिफेंस कॉरीडोर नोड के रूप में चिन्हित जनपदों से भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारियों से प्राप्त किये जा रहे हैं, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

(क) जनपद झांसी में चिन्हित 3025.348 हेक्टेयर भूमि–

उक्त भूमि जिला झांसी की तहसील गरौठा में नगर पंचायत ऐरच से लगभग दो कि0मी0 दूर है। यह भूमि कानपुर–झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 6.0 कि0मी0 की दूरी पर प्रारम्भ होती है तथा पूंछ–मऊरानीपुर राज्यमार्ग पर ऐरच कस्बे से दो कि0मी0 दूर ऐरच–रामनगर जिला मार्ग के दोनो ओर, जो आगे जाकर मोठ से मिलता है, पर स्थित है। इसकी लम्बाई लगभग 12 कि0मी0 है। प्रस्तावित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से इस भूमि की दूरी लगभग 48.00 कि0मी0 है। इस भूमि पर कोई भी आबादी तथा वन क्षेत्र नहीं पाया गया है। इस भूमि पर कृषि का कार्य लगभग नगण्य है।

जिलाधिकारी झांसी द्वारा उक्त चिन्हित 3025.348 हेक्टयर भूमि का वर्तमान सर्किल रेट के चौगुने की दर पर कुल लागत रूपये 940.83 करोड़ सूचित की गयी है। इस भूमि से सटी हुई ग्राम बिलाटी खेत एवं ग्राम नकोरा की भूमि आवश्यकता होने पर उपलब्ध हो सकती है।

प्रश्नगत भूमि पर भूगर्भ जल की उपलब्धता भूमि तल से लगभग 80 फिट नीचे बतायी गयी है। चिन्हित भूमि के एक ओर लगभग दो कि0मी0 की दूरी पर बेतवा नदी पर बांध निर्मणाधीन है जिससे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। विद्युत की प्रारम्भिक उपलब्धता 132 के0वी0 उपकेन्द्र गुरसराय, जो इस स्थल से लगभग 30 कि0मी0 की दूरी पर है, से सुनिश्चित हो सकती है। यह भूमि ऐरच रोड (कानपुर–झांसी रेलमार्ग) रेलवे स्टेशन से लगभग 13.0 कि0मी0 की दूरी पर है। इस भूमि से निकटस्थ हवाई अड्डा 70.00 कि0मी0 की दूरी पर जिला मुख्यालय झांसी में होगा।

(ख) जनपद अलीगढ़ में चिन्हित284.540 हेक्टेयर भूमि–

उक्त चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल 263.937 हेक्टेयर तथा बीच–बीच में पड़ने वाले ग्राम सभा भूमि का क्षेत्रफल 20.603 हेक्टेयर अर्थात् भुमि का कुल क्षेत्रफल 284.540 हेक्टेयर है। यह भूमि जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–पलवल मार्ग (स्टेट हाइवे संख्या–22) पर स्थित राजस्व ग्राम टप्पल में है।

जिलाधिकारी अलीगढ द्वारा उक्त चिन्हित 263.937 हेक्टयर भूमि का वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मूल्य रू0 171.56 करोड़ बताया गया है जिसकी चार गुना दर पर कुल लागत रूपये 686.24 करोड़ होगी।

(ग) औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ने आर्थिक सलाहकार, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 01 जून 2018 के माध्यम से उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रदेश में विकसित विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध रिक्त भूमि का विवरण भेजा है। इस प्रस्ताव में अंकित जनपदों में से जनपद कानपुर और आगरा प्रस्तर 3 में उल्लिखित नोड में समाविष्ट है। इस आधार पर मेधना जनपद कानपुर नगर स्थित औद्योगिक आस्थान की लगभग 340 हेक्टेयर अविकसित भूमि तथा इन्टरटेनमेंट पार्क आगरा की 1000 एकड़ अविकसित भूमि में से 300 हेक्टेयर भूमि उपयोग की श्रेणी परिवर्तित करते हुए डिफेंस कॉरीडोर हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।

(घ) कानपुर, चित्रकूट, एवं जालौन जनपदों में डिफेन्स कॉरिडोर हेतु चिन्हित भूमि–

उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु यूपीडा द्वारा कानपुर, चित्रकूट, एवं जालौन जनपदों में भी निम्नवत् भूमि प्रस्तावित है:–

क. सं.	जनपद का नाम	चिन्हित भूमि (हेक्टेयर में)	अनुमानित अधिग्रहण/क्रय हेतु लागत (रूपये करोड़ में)
1	कानपुर	1000 (340 हेक्टेयर यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक आस्थान से अंतरण शेष 660 हे0 क्रय/भूमि अर्जन के माध्यम से)	1450.00
2	चित्रकूट	500	175.00
3	जालौन	200	150.00

(6) उक्त स्थिति में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु विभिन्न डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग नोड्स जनपद आगरा, अलीगढ़, झांसी, जालौन, चित्रकूट तथा कानपुर में स्थापित करने हेतु चिन्हित निम्नवत् भूमि के अनुमानित लागत के अनुसार अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण हेतु निम्न प्रस्ताव है :–

क. सं.	जनपद का नाम	चिन्हित भूमि (हेक्टेयर में)	भूमि की प्राप्ति का स्रोत	अनुमानित अधिग्रहण/क्रय हेतु लागत (रूपये करोड़ में)
1	झांसी	3025.348	क्रय/अर्जन	940.83
2	अलीगढ	100	क्रय/अर्जन	241.54
3	कानपुर	1000	340 हे0 यूपीएसआईडीसी से अंतरण/आवंटन शेष 660 हे0 क्रय/अर्जन	1450.00
4	चित्रकूट	500	क्रय/अर्जन	175.00
5	आगरा	300	यूपीएसआईडीसी द्वारा अंतरण/आवंटन	450.00
6	जालौन	200	क्रय/अर्जन	150.00
	योगः–	5125.348		3407.37

(7)(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पत्र दिनांक 21.08.2018 द्वारा Center of Excellence के सम्बध में उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक प्रोजेक्ट प्रपोजल के क्रम में दिनांक 08.09.2018 द्वारा IIT Kanpurमें Center of Excellenceस्थापित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा वे रक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं के लिये नैनो तकनीक के आधार पर नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करायेगें जिसमें मुख्यतः निम्न विषय होंगे :–

1. Advance Nanomaterials and Nano Technology
2. Cyber Security for Defence
3. Electronics and Communications
4. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

प्रश्नगत कार्यों हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा सूचित किया गया वित्तीय भार निम्नवत है :–

Consolidated budget for Centre of Excellence In Defence Technologies

(a) (i) **First Year (Value in INR)**

Sl. No.	Name of Work	Expenditure (in INR)
1	Advance Nanomaterials	10 Crores
2	Cyber Security	7 Crores
3	Unmanned Aerial Vehicles	15 Crores
4	Electronics and Communications	10 Corers
	Total budget for research verticals	**42 Corers**

(ii) Total budget for infrastructure development: 7.75 Crores

(iii) Consultancy Services fee for PICUP: 0.25 Crores

(b) **2-5 Year (Value in INR)**

A tentative budget is given as under:

(i)

Sl. No.	Name of Work	Expenditure (in INR)
1	Advance Nanomaterials	50 Crores
2	Cyber Security	50 Crores
3	Unmanned Aerial Vehicles	100 Crores
4	Electronics and Communications	50 Crores
	Total budget for research verticals	**250 rores**

(ii) Total budget for infrastructure development: 75 Crores

(iii) Consultancy Services fee for PICUP: 0.5 % of sanctioned amount

A detailed projects proposal will be prepared to build up the capabilities on the basis of success obtained in the first year. Subsequent development will lead to optimization of products, consolidation of prototypes, field trials, and final transfer to appropriate industrial partner for further development and scale up production.

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2018 द्वारा Center of Excellenceकी स्थापना हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाने हेतु सूचित किया है :–

Major efforts will be focussed on following four sectors of the defense-

1- Smart materials and sensor materials.
2- Composites, Metals and and alloys:
3- Novel Methods and techniques:
4- Safety and Hazards Investigations and Defence Architecture

Centre will be equipped with state of the art facilities in the areas of development of materials, novel fabrication techniques, safety and hazard Investigations, defence architecture and sensors and biosensors labs for defence. Facilities will be created to meet the challenges of the defence in above four sectors. A short term goal will be of three years to create the centre as per the requirements of the defence and present need.

उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमानित व्यय निम्नवत सूचित किया गया है :–

Short Term:

S. No.	Areas	First Year (Crores)	Second Year (Crores)	Third Year (Crores)
1	Smart Materials and Sensor materials	8.00	10.00	6.00
2	Composites, Metals and Alloys	5.00	5.00	7.00
3	Novel Methods and Techniques	8.00	8.00	10.00
4	Safety and Hazards Investigations and Defence Architecture	7.00	8.00	7.00
5	Budget For Infrastructure Development	5.00	5.00	8.00
6	Recurring Budget	2.00	4.00	4.00
	Total	**35.00**	**40.00**	**42.00**

Total (Short Term): 117.00 Crores

Long Term:

Development of the products, field trials and finally transfer to industrials partners and Defence labs will be achieved in five years period in the above proposed areas.

Short Term:

S. No.	Areas	Fourth Year (Crores)	Fifth Year (Crores)
1	Smart Materials and Sensor materials	10.00	10.00
2	Composites, Metals and Alloys	10.00	10.00
3	Novel Methods and Techniques	15.00	10.00
4	Safety and Hazards Investigations and Defence Architecture	10.00	10.00
5	Budget For Infrastructure Development	15.00	15.00
6	Recurring Budget	5.00	5.00
7	Product Development and Industrial Component	10.00	10.00
	Total	**75.00**	**70.00**

Total (Short Term): 145.00 Crores

Grand Total: Rs. 262.00 Crores

उपर्युक्त प्रस्तर–7(क) एवं (ख) में वर्णित कार्यो हेतु सूचित की गयी धनराशि के दृष्टिगत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में Center of Excellenceकी स्थापना का प्रस्ताव है।

(8) डिफेंस कॉरीडोर विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से 500.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इस धनराशि में से 400.00 करोड़ रूपये भूमि अर्जन कार्य हेतु, 50 करोड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को प्रथम वर्ष की किस्त के रूप में, 35.00 करोड़ रूपये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रथम वर्ष की किस्त के रूप में दिये जाने तथा शेष धनराशि यूपीडा द्वारा अन्य व्यय आदि के रूप में रक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। कॉरीडोर के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने की स्थिति में, वित्तीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धी दर पर ऋण प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव प्रस्तर–6, 7 एवं 8 पर चर्चा उपरान्त निदेशक मण्डल के सदस्यों ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.09.2018 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को अनुमोदित किये गये है।

(रवीन्द्र गोडबोले)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी